<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 86/2025 **दायर दिनांकः 09.06.2025**

उनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
2. रामावतार पुत्र भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
3. सम्पत्तबाई पुत्री भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
4. गीताबाई पुत्री भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
5. ममताबाई पुत्री भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. विशाल पुत्र हंसराज जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
2. आशीष पुत्र हंसराज जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. शाखा प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
प्रतिवादीगणः– प्रतिवादी कम 1 व 2 स्वयं

निर्णय दिनाकः 30.06.2025

वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र कटावर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 75 के ख0नं0 314 रकबा 0.47 है०, ख0नं0 320 रकबा 0.02 है०, ख0नं0 72 रकबा 0.05 है०, ख०नं० 80 रकबा 0.06 है० कुल किता 4 का रकबा 0.60 है० आराजी वादीगण एवं मृतक रामचरण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा के शामलाती खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ

संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 132 के ख0नं0 289 रकबा 2.82 है०, ख0नं0 81 रकबा 2.20 है० किता 2 रकबा 5.02 है0 आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 एवं मृतक रामचरण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा के शामलाती खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी के सहखातेदार रामचरण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू की लाऔलाद मृत्यु दिनांक 26.11.2018 को हो चुकी हैं। जिनके वारिसान वादीगण हैं। जो मृतक के सगे भाई भागचन्द के पुत्र व पुत्रीया हैं।

वादीगण एवं मृतक रामचरण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैं:—

हरिकिशन

भागचन्द (पुत्र मृतक)

रामचरण उर्फ रामकरण (पुत्र लाऔलाद मृतक)

दिनेश   रामावतार   सम्पत्तिबाई   गीता बाई   ममताबाई

वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में खातेदार मृतक खातेदार का नाम रामचरण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा दर्ज हैं जो गलत नाम दर्ज हैं तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में सही नाम रामकरण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा दर्ज दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक सहखातेदार का नाम भिन्न होने की वजह से फोती नामान्तकरण नही खुल पाया हैं। जिसको वादीगण रामचरण के स्थान पर रामकरण दुरूस्त करवाकर अपने नाम विरासत का नामान्तकरण खुलवाकर खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादी के यहा फोती नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन राजस्व रिकार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में भिन्न भिन्न नाम दर्ज होने की वजह से नामान्तकरण नही खुल सका। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी मे मृतक रामचरण पुत्र हरिकिशन के स्थान पर रामकरण पुत्र

हरिकिशन नाम दुरूस्त करवाकर फाती नामान्तकरण खुलाया जाना सम्भव नही हैं। यदि रामचरण पुत्र हरिकिशन के स्थान पर रामकरण पुत्र हरिकिशन नाम दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नही किये गये तो वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 मे वर्णित आराजी पर प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 मे वर्णित आराजी में मृतक का नाम रामचरण पुत्र हरिकिशन के स्थान रामकरण पुत्र हरिकिशन दुरूस्त करवा उनके स्थान पर खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी हैं। जिसको न्यायालय की सहायता के बिना नही करवाया जा सकता हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद नाम दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया हैं। जिसे धारा 80 जा०दी० का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया हैं। लेकिन वादीगण को आराजी पर प्राप्त अपने हक अधिकारो से वंचित होना पड रहा हैं। इस वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व धारा 80 (2) जा०दी० के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। वाद कारण प्रथम बार वादीगण द्वारा मृतक के स्थान पर फोती नामान्तकरण खोलने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तथा अन्तिम बार राजस्व रिकार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम भिन्न होने से विरासत नामान्तकरण खोलने की मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 सहखातेदार होने की वजह से वाद पत्र में पक्षकार बनाये गये है जिनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने प्रतिवादी क्रम 3 के यहा अपने हिस्से की आराजी रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा हैं। इस वजह से बैंक को प्रतिवादी क्रम 3 बनाया गया हैं। जिससे कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। विवादित आराजी एवं पक्षकारान ग्राम बलदेवपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें कि:—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में मृतक का नाम रामचरण पुत्र हरिकिशन के स्थान पर रामकरण पुत्र हरिकिशन दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में अनापत्ति पेश की गई। प्रतिवादी क्रम 3 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार अटरू से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2315 दिनांक 24.06.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बलदेवपुरा की आराजी खाता संख्या 75 के ख0नं0 314 का रकबा 0.47 है0, ख0नं0 320 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 72 का रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 80 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.60 है0 तथा खाता संख्या 132 का ख0नं0 289 का रकबा 2.82 है0, ख0नं0 81 का रकबा 2.20 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.02 है0 में खातेदार रामचरण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा सा0 देह हिस्सा 1/2 में दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी में उक्त दोनो खातो में खातेदार का नाम रामचरण पुत्र हरिकिशन दर्ज है। सेटलमेंट जमाबन्दी में भी उक्त खसरा नं0 पर यही नाम दर्ज है। खातेदार रामचरण पुत्र हरिकिशन के संबंध में ग्राम बलदेवपुरा में मज्मेआम उपिस्थत होकर पता किया जिसमें उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम बलदेवपुरा में रामचरण पुत्र हरिकिशन नाम का कोई व्यक्ति नही है व सहखातेदारो से पूछताछ करने पर बताया गया कि रामचरण पुत्र हरिकिशन का सही नाम रामकरण पुत्र हरिकिशन है। रामचरण पुत्र हरिकिशन को ग्राम बलदेवपुरा में रामकरण के नाम से बुलाया जाता है। समस्त दस्तावेजों में भी उक्त खातेदार का नाम रामकरण पुत्र हरिकिशन दर्ज है।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम व माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर की प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 75 पुराना 63 के ख0नं0 314 का रकबा 0.47 है0, ख0नं0 320 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 72 का रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 80 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.60 है0 तथा ग्राम व माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या नया 132 पुराना 75 का ख0नं0 289 का रकबा 2.82 है0 व ख0नं0 81 का रकबा 2.20 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.02 है0 में सहखातेदार रामचरण पुत्र हरिकिशन जाति मीणा सा0 देह हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में उक्त आराजी भू–प्रबन्धक विभाग

सेटलमेंट जमाबन्दी ग्राम व माल बलदेवपुरा के सम्वत 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार खाता संख्या 66 रामचरण, भागचन्द पिता हरिकिशन, गुलाब बेवा हरिकिशन कोम मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों मृत्यु प्रमाण पत्र रामकरण दिनांक 19.01.2019, सरपंच ग्राम पंचायत कटावर प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.2024, आधार कार्ड रामकरण, मतदाता पहचान पत्र रामकरण, परिवार राशन कार्ड रामकरण (नं0–010290700070), मृत्यु रजिस्टर 2018 व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 132 के ख0नं0 289 रकबा 2.82 है०, ख0नं0 81 रकबा 2.20 है० किता 2 रकबा 5.02 है0 आराजी में सहखातेदार प्रतिवादी क्रम 1 विशाल पुत्र हंसराज व प्रतिवादी क्रम 2 आशीष पुत्र हंसराज ने भी उक्त प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति पेश नही की तथा आदेशिका पर स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बलदेवपुरा में रामचरण पुत्र हरिकिशन नाम का कोई व्यक्ति नही है। रामचरण पुत्र हरिकिशन का सही नाम रामकरण पुत्र हरिकिशन है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर वादीगण का वादपत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 75 के ख0नं0 314 का रकबा 0.47 है०, ख0नं0 320 का रकबा 0.02 है०, ख0नं0 72 का रकबा 0.05 है०, ख०नं० 80 का रकबा 0.06 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.60 है० आराजी व ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 132 के ख0नं0 289 का रकबा 2.82 है० व ख0नं0 81 का रकबा 2.20 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 5.02 है0 आराजी में सहखातेदार रामचरण पुत्र हरिकिशन के स्थान पर रामकरण उर्फ रामचरण पुत्र हरिकिशन दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
<u>बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)</u>

प्रकरण सं0 86/2025 **दायर दिनांकः 09.06.2025**

उनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
2. रामावतार पुत्र भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
3. सम्पत्तबाई पुत्री भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
4. गीताबाई पुत्री भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
5. ममताबाई पुत्री भागचन्द जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. विशाल पुत्र हंसराज जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू
2. आशीष पुत्र हंसराज जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. शाखा प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
प्रतिवादीगणः— प्रतिवादी कम 1 व 2 स्वयं

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 75 के ख0नं0 314 का रकबा 0.47 है०, ख0नं0 320 का रकबा 0.02 है०, ख0नं0 72 का रकबा 0.05 है०, ख०नं० 80 का रकबा 0.06 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 0.60 है० आराजी व ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 132 के ख0नं0 289 का रकबा 2.82 है० व ख0नं0 81 का रकबा 2.20 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 5.02 है0 आराजी में सहखातेदार रामचरण पुत्र हरिकिशन के स्थान पर रामकरण उर्फ रामचरण पुत्र हरिकिशन दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग..............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)